

श्रीमान्,

150

2025/43

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी कृष्ण लाल पुत्र श्री रावताराम, निवासी चक 08 सी बड़ी, हाल वार्ड नं.2, चक 05 डी बड़ी, वीपीओ दुल्लापुरकेरी, तह. व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ और दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थीगण व गवाहान देवकरण पुत्र श्री लूणाराम और पूर्णचंद पुत्र श्री फूसाराम की पहचान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण राम द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तावित है।

Sudhir  
27/2/2025

जिला पंजीयक महोदय

27/02/2025